



109 60Rs.

- : 3 : -

विक्रय किये मकान पर क्री का लेना निकलना नहीं है निकलेगा तो उसकी पुग पुग जवानदारी मेरी रहेगी तथा विक्रय किये मकान को कहीं भी गिरवी - जफ्त में तथा बंधक में किया नहीं है निकलेगा तो उसकी पुग पुग जवानदारी मेरी रहेगी ।

विक्रय किये मकान की नामान्तरण की कार्यवाही आपने ग्राम पंचायत पानरौमल के कार्यालय में विक्रोवन् कारके पंचायत के रेकार्ड में से विक्रय किये मकान पर मे मकान नाम रफ कारवाकारके मेरी नाम की जगह आपकानाम दर्ज करवा लेना - अधिकार आपको रहेगा । उसमें कोई भी आपत्ति करेगी तो नाजायज व फुटे माने जावेंगे ।

लिखाजा यह मकान का विक्रय पत्र मैंने मेरी राजी सुशी से बिना को पानि के ही शो हवाश में लिखाया तथा पढवाकर सुना तथा मैंने मेरी स्वेच्छा से की सी सन्दर्भ रहे व वक्त जखरत के काम आवें सो सब दिनांक:- २५-४-७३

गवाह:-

सही :-

१:- शीवदास शहादी

- गिरवी - - - -

२:- अशोकचन्द लोठकी

२. लखनऊ
३. दस्तावेज लेखन के कामकाज का स्थान:-
"महाराज ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी, अ. पश्चिम निमाड"
४. नथकत का नाम मकान की विक्रयपत्र
५. पंजीयन क्रमांक १५३ दिनांक २५-०४-७३
६. लीगई फीस ₹. ६-५० दिनांक २५-०४-७३
शाहबाम शहादी



- : २ : -

उत्तर साइड का निम्न लम्बाई - चौड़ाई व चतुःसीमा के बिच का आपको छोड़ा के लिये रुपये १४,०००) अर्थात् चौदह हजार रुपयों में विक्रय किया है - तथा किस्त के रुपये १४,०००) अर्थात् चौदह हजार रुपये भी मैंने आपसे नगद ले लिये हैं, अब लेना बाकि नहीं रहा है, तथा विक्रय किये मकान का कब्जा भी मैंने आपको दे दिया है।

विक्रय किये मकान का लम्बाई - चौड़ाई :-

लम्बाई :- पूर्व - पश्चिम फीट ४५ (चौराल्हाई) है।

चौड़ाई :- उत्तर - दक्षिण फीट ३३ (तेत्तर) है।

चतुःसीमा :-

पूर्व में, एवं पश्चिम में :- आम रास्ता है।

उत्तर में :- गली है। दक्षिण में :- बचत मकान ३३ फीट चौड़ाई का जो कथु शिवराम चौधरी को विक्रय किया है।

सो उक्त विक्रय किये मकान को मैंने आपको म्य त्वेइमलेमसाले मुहा विक्रय किया होकर के विक्रय नाते से मकान का कब्जा भी मैंने आपको दे दिया है, सो सदर मकान पर आज से आपने अपना कब्जा मालकाना नाते से करके उसका उपभोग वंश परंप परात्तक लेने रहना यावक्त जहान के किसी अन्य को विक्रय करना या सदर मकान को नविन - सिरी से बान्धना संपूर्ण अधिकार आपको प्राप्त रहेंगे।

विक्रय किये मकान के निस्वत मेरा या मेरी किसी भी वारीसदारी का किसी भी प्रकार का दावा - फगहा वगैरह रहा नहीं है अगर कोई भी दावा फगहा - करेगी तो वे इस लेख द्वारा नाजायज व फुठे माने जावेंगे।





॥ श्री ॥

- :: मकान का विक्रय पत्र :: -

रविन्द्रकुमार पिता मोती राम चौधरी उम्र ५ वर्ष अज्ञान
पालन तथा एवं सरदाकः पिता : मोती राम शिवराम चौधरी
निवासी मन्थराला टाँधा पानसेमल नहसी ल सेंधवा जिला पठानि

सुरी ददार

गंगाकृष्ण पिता लालमाधव शुक्ल उम्र ७५ वर्ष निवासी पानसेमल
 नहसी ल सेंधवा जिला पश्चिम प्रिमाड मध्य प्रदेश

विक्रीदार

मैं विक्रीदार आप सुरीददार को यह मकान का विक्रय पत्र आपके हक्क
 में लिख देता हूँ ऐसा के :--

ग्राम पानसेमल के नदी दूध मोहल्ले में का मकान नं० २६२ उभारान्य
 क्वेल्दार बना हुआ पूव - पश्चिम हसी बना हुआ जिसकी लम्बाई - चौडाई
चहुँ : सीमा निम्नवत् है का मकान मेरे मालकी का होकर के ग्राम पंचायत पानसे
 के भवन एवम् रोशनी कर रजिस्ट्र वष ७३ + ७४ में लालमाधव सुक्लीन मालिक
गंगाकृष्ण पिता लालमाधव शुक्ल के नाम से दज है ।

लम्बाई :- पूव - पश्चिम फीट ४५ (पैनालिस) मात्र है ।

चौडाई :- उत्तर - दक्षिण फीट ६६ (काकठ) मात्र है ।

पूव में एवम् पश्चिम में :- आम रास्ता है । उत्तर में :- गली है । (सावजनिक
पार्क में ५

दक्षिण में :- रविशंकर गंगाकृष्ण का मकान है ।

सो उक्त हाद हद तथा चहुँ : सीमा के बिच के मकान में से आधा मक

